अन्नदाता को मिली भूमि की सौगात

- लैंड पूलिंग योजना रद्द होने पर किसानों ने निकाली आभार रैली
- सीएम डॉ यादव बोले अन्नदाता का सम्मान सर्वोपरि, किसानों ने मनाई दिवाली-होली एक साथ

नवभारत न्यूज

उज्जैन. मिट्टी की सौंगध खाकर जो किसान लैंड पूलिंग योजना के तहत अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे, उन्हें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक बड़ी सौगात दे दी और स्थाई कुंभ सिटी के लिए बनाई जा रही है लैंड पूलिंग योजना निरस्त करते हुए किसानों के सम्मान में निर्णय लिया. ऐसे में किसान अंगारेश्वर मन्दिर क्षेत्र से मिट्टी लेकर सरकार के प्रति आभार रैली निकालने पहुंचे और सौगंध समन्वय में बदल गई.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में मंगलवार को भारतीय किसान संघ ने एक विशाल आभार रैली निकालकर दिवाली और होली एक साथ मनाई. यह जश्न मुख्यमंत्री द्वारा सिंहस्थ-2028 के लिए प्रस्तावित लैंड पूलिंग योजना को वापस लेने के ऐतिहासिक निर्णय के बाद मनाया गया, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है.

भगवान बलराम के लगाए जयकारे -ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर किसानों की मेहनत रंग लाई जैसे पोस्टर लगाए, किसान जिला प्रशासनिक भवन कोठी से टावर चौक तक रैली में शामिल हुए. इस दौरान किसानों ने जमकर आतिशबाजी की, रंग-गुलाल उड़ाया और भगवान बलराम के जयकारे लगाए. किसान अपने हाथों में हल लेकर आए, जो उनकी जीत और कृषि के प्रति अटूट लगाव का प्रतीक था.

केंद्र से भी मिला सहयोग- नवभारत से चर्चा में भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आज मैंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से भोपाल में भेंट हुई और केंद्र ने भी सेतु का काम किया. बातचीत के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि लैंड पूलिंग योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. इसके बाद, मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी लैंड पूलिंग योजना को निरस्त करने का प्रस्ताव लाया गया, जिस पर मुहर लग गई.

अब परंपरागत तरीके से होगा सिंहस्थ का विकास- मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद अब सिंहस्थ 2028 का आयोजन और तैयारी परंपरागत तरीके से की जाएगी. सरकार अब वर्ष 2004 और 2016 के सिंहस्थ की तर्ज पर ही विकास कार्य करेगी, जिसका अर्थ है कि कच्चे क्षेत्र को ही विकसित किया जाएगा. इससे पहले, सरकार सड़क, पानी, और बिजली जैसी व्यवस्थाओं के लिए पक्का स्ट्रक्चर बनाने और धार्मिक संस्थाओं को बड़े निर्माण की अनुमति देने की योजना बना रही थी, जिसके लिए किसानों की जमीन लैंड पूलिंग के तहत जा रही थी.

किसान संघ ने संभाला मोर्चा, दिल्ली तक पहुँची बात

जब स्थानीय स्तर पर किसानों की बात नहीं सुनी गई, तो भारतीय किसान संघ ने इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाया. संघ ने मोर्चा संभाला और संगठित विरोध के माध्यम से इस मुद्दे को दिल्ली तक पहुँचाया. इसके परिणामस्वरूप, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया. 17 नवंबर को भोपाल में मुख्यमंत्री ने भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना और अन्य पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की.

क्या थी लैंड पूलिंग योजना

दरअसल, राज्य सरकार ने महाकुंभ सिंहस्थ 2028 के लिए एक स्थाई कुंभ सिटी बनाने की योजना तैयार की थी. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत, किसानों की 50% जमीन लैंड पूलिंग के माध्यम से अधिग्रहित की जा रही थी. किसान इस योजना से नाखुश थे और उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से कई बार मिलकर अपनी चिंता व्यक्त की, बावजूद संवादहीनता के चलते उनकी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँच पाई थी.

मध्यप्रदेश में कड़ाके की सर्दी, पारा 5 डिग्री से नीचे

आधे प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट

भोपाल, 18 नवंबर. मध्यप्रदेश में बर्फीली उत्तरी हवाओं ने सर्दी का प्रभाव कई गुना बढ़ा दिया है. भोपाल, इंदौर, राजगढ़ सहित कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे पहुंच गया. भोपाल में रात 5.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, जो नवंबर माह में पिछले 84 वर्षों का सबसे न्यूनतम पारा है. इससे पहले 1941 में 6.1 डिग्री का रिकॉर्ड था. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के लगभग आधे हिस्से में शीतलहर और तीव्र शीतलहर का अलर्ट जारी किया है.

राजगढ़ 5.6 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा. पचमढ़ी में 6.4, उमरिया 7.6, नौगांव 7.8, बैतूल 8.7, इंदौर 7.7, ग्वालियर 10.5 और जबलपुर में 9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

तेज ठंड के कारण कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा ने 18 नवंबर से स्कूल सुबह 9 बजे लगाने के निर्देश दिए. भोपाल में नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 8:30 बजे से पहले शुरू नहीं होंगी. ग्वालियर, देवास, झाबुआ, छिंदवाड़ा, सागर, शहडोल, शिवपुरी और खंडवा में भी समय परिवर्तन लागू किया गया है. पिछले 24 घंटों में प्रदेश का मौसम मुख्यत: शुष्क रहा, लेकिन कई जिलों में शीतलहर और तीव्र शीतलहर का प्रभाव स्पष्ट रहा.

Khadi India

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Govt. of India

खादी और ग्रामोद्योग आयोग
KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION
राज्य कार्यालय, भोपाल
STATE OFFICE, BHOPAL
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Govt. of India)

रोजगार की नई पहल स्वरोजगार हेतु जागरुकता शिविर
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम "PMEGP"

नये उद्योग स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित "PMEGP" योजना के दिशा निर्देशानुसार बैंको के माध्यम से विनिर्माण इकाई हेतु राशि रूपये 50.00 लाख एवं सेवा इकाई हेतु 20.00 लाख तक के ऋण पर भारत सरकार द्वारा 15% से 35% की दर से अनुदान राशि शहरी एवं ग्रामीण पात्रता के अनुसार एवं द्वितीय ऋण में विनिर्माण इकाई हेतु राशि रूपये 1.00 करोड़ तक के ऋण तथा सेवा इकाई हेतु 25.00 लाख तक ऋण पर अनुदान राशि पर 15% की दर से प्रदाय की जाती है।

यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB), एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (DTIC) द्वारा बैंको के माध्यम से संचालित की जा रही है। योजना के बारे में जन-जन को जानकारी हो सके, इस आशय से एक दिवसीय जागरुकता शिविर का निम्नानुसार आयोजन किया जा रहा है:-

दिनांक : 20 नवम्बर 2025 (गुरूवार)
समय : प्रातः 11.30 बजे से
स्थान : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिविल हॉस्पिटल के पास, जिला-अलीराजपुर (म.प्र.)

इस योजना में नये उद्योग स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति शिविर में सम्मिलित होकर योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है।
राज्य निदेशक

बी-3/4, कार्यालय परिसर, गौतम नगर, भोपाल
B3, B4, Office Complex, Gautam Nagar, Bhopal (M.P.),
Ph.: 0755-2583667- 68
E-mail : kvicbhopal@gmail.com / sobhopal.kvic@gov.in

कैबिनेट में उठा लैंड पूलिंग का मामला

- सरकार के लिये किसानों का हित सर्वोपरि : सीएम

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 18 नवंबर. मंगलवार को अनौपचारिक कैबिनेट में सिंहस्थ लैंड पूलिंग योजना का मामला छाया रहा. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को बीती रात हुई बैठक का ब्यौरा दिया और बताया कि आखिर ये मामला क्यों वापस लिया गया. उन्होंने कहा कि सरकार के लिये किसानों का हित सर्वोपरि है. उनकी सहमति के बगैर सरकार कोई काम नहीं करेगी.

उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े मेले सिंहस्थ 2028 का आयोजन पूर्ण गरिमा-गौरव-भव्यता और दिव्यता के साथ करने के लिए साधु संतों, जिला प्रशासन, अन्य राज्यों में हुए कुंभ एवं सिंहस्थ के व्यवस्थापकों तथा स्थानीय किसानों के सुझाव लेकर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. लैंड पूलिंग के विषय पर स्थानीय किसानों के विचारों के अनुसार कार्य किया जाएगा.

बाद में कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कैबिनेट में इस संबंध में हुई चर्चा को लेकर पूछे गये सवाल के जवाब में कहा कि सिंहस्थ क्षेत्र के लिये सिर्फ लैंड पूलिंग एक्ट वापस लिया गया है.

5 हजार छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती होगी

अनौपचारिक कैबिनेट के दौरान मुख्यमंत्री ने अन्य विषयों पर चर्चा की. उन्होंने मंत्रियों को बताया कि जनजातीय कार्य विभाग के तहत संचालित सभी कन्या छात्रावास और आश्रमों का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा जाएगा. बालक छात्रावासों का नाम भी महाराजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में 5 हजार छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती होगी. सीएम ने इंदौर में हुए एमपी टेक ग्रोथ को लेकर भी जानकारी साझा की.

सिंहस्थ मेला क्षेत्र के विकास के संबंध में किसानों की भावना और उनकी सहमति के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाएंगी. केन्द्र सरकार के सहयोग और राज्य सरकार के उचित नियोजन के परिणामस्वरूप सिंहस्थ के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं. सिंहस्थ का आयोजन विश्वस्तरीय है और इसके लिए विश्वस्तरीय प्रबंधन किए जा रहे हैं. भविष्य में किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था की विषम परिस्थिति निर्मित न हो, इसके लिए सभी तरह के प्रबंध राज्य सरकार कर रही है. सिंहस्थ - 2028 की व्यवस्थाएं अब तक के सभी मेलों से बेहतर होगी.

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

उन्नत कृषि, समृद्ध किसान
विकसित भारत का निर्माण

प्रधानमंत्री **नरेन्द्र मोदी** के द्वारा

पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के तहत

₹18,000 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि
9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर एवं
दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती समिट 2025 का उद्घाटन

19 नवम्बर, 2025 | दोपहर 1:00 बजे | कोयम्बत्तूर, तमिलनाडु

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- किसानों के खातों में तीन समान किस्तों में **प्रतिवर्ष ₹6,000** की सीधी सहायता
- अब तक **₹3.90 लाख करोड़ से अधिक की राशि** सीधे **किसानों** के बैंक खातों में ट्रांसफर
- पीएम किसान के लाभार्थियों में **25% महिला किसान**
- विश्व की सबसे बड़ी **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांफसर (DBT)** योजनाओं में से एक
- पीएम किसान के **85%** से अधिक लाभार्थी छोटे और सीमांत किसान

कृषि में अभूतपूर्व उपलब्धियाँ
- बीते 11 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन 246 मिलियन टन से बढ़कर **354 मिलियन टन** हुआ
- **25 करोड़** से अधिक **सॉइल हेल्थ कार्ड**
- **100 लाख हेक्टेयर** में सूक्ष्म सिंचाई
- **₹2 लाख करोड़** की फसल बीमा सहायता
- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत **55 हज़ार** से अधिक किसानों का प्रमाणीकरण
- पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह ₹ 6.35 लाख करोड़ से बढ़कर करीब **₹16 लाख करोड़** हुआ
- नई तकनीक, एफपीओ, किसानों की डिजिटल आईडी, पीएम आशा और एआईएफ के साथ ग्रामीण भारत में बड़ा सकारात्मक बदलाव

कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश
- ₹24,000 करोड़ की राशि से **प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना** संचालित
- ₹11,440 करोड़ की राशि से **दलहन आत्मनिर्भरता मिशन** को प्रोत्साहन
- पिछले 11 वर्षों में कृषि बजट में लगभग **5 गुना** बढ़ोतरी, ₹22,000 करोड से बढ़कर **₹1.27 लाख करोड़** हुआ
- पिछले 11 वर्षों में लगभग **₹14 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी** से किसानों को सही समय और किफायती दामों पर खाद की आपूर्ति

CBC 01102/13/0007/2526

निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर 3 शिक्षक निलंबित

भिण्ड, 18 नवम्बर. मध्यप्रदेश में भिण्ड कलेक्टर करोड़ी लाल मीणा ने जिला निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले तीन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

वहीं गोहद एसडीएम ने ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर मतदाता सत्यापन कार्य की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया. गौरतलब है कि जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत सरकारी कर्मचारी युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं. आधिकारिक जानकारी के अनुसार पहला मामला शासकीय बालक प्राथमिक विद्यालय कोंहार के सहायक शिक्षक बालकृष्ण शर्मा का है. उन्हें परिवार लिंकिंग और मैपिंग कार्य के लिए बीएलओ नियुक्त किया गया था तथा प्रशिक्षण भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने न तो प्रशिक्षण में उपस्थिति दर्ज कराई और न ही मैपिंग कार्य किया. नोटिस का जवाब नहीं देने पर उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई.

दूसरा मामला शासकीय प्राथमिक विद्यालय थनुपुरा के शिक्षक किशन शाक्य का है. प्रशिक्षण लेने के बाद भी उन्होंने अपने सुपरवाइजर को स्पष्ट रूप से कह दिया कि वे बीएलओ का कार्य नहीं करेंगे. गणना पत्रक लेने से इंकार को निर्वाचन कार्य में गंभीर लापरवाही माना गया.

तीसरी कार्रवाई एकीकृत शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एण्डोरी के शिक्षक प्रदीप सिंह भदौरिया पर की गई. निर्वाचन शाखा द्वारा कई बार मौखिक निर्देश और कारण बताओ नोटिस देने के बावजूद उन्होंने सर्वे कार्य में रुचि नहीं दिखाई, जिससे पुनरीक्षण अभियान प्रभावित हुआ.

तीनों शिक्षकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 **RNI Reg. No.7590/60**